

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 146/2023

अनवान :

ईश्वरसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी गुरेरां तहसील व जिला भिवानी हरियाणा। :- वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी गुरेरां तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
2. अमरदीप पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी गुरेरां तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
3. सुशीला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गुरेरां तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
4. विजयलक्ष्मी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गुरेरां तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं० 198/180 के खसरा सं० 935/1 की 2.9720 है० वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 नत्थुराम के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 नत्थुराम अकेले की बजाय वादी ईश्वरसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 नत्थुराम, प्रतिवादी सं० 2 अमरदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

